कृषि निदेशालय, बिहार।

संचिका सं0–06 / स्था0–79 / 13– 127 कृ0, पटना दिनांक 13-2-2017

आदेश

बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पत्रांक–3582 आ0 एवं 3583 आ0 दिनांक 06.12.2016 के द्वारा कृषि समन्वयक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों के साथ 87 कृषि समन्वयकों की नियुक्ति से पूर्व काउन्सिलिंग कराने का अनुरोध किया गया है। उक्त कृषि समन्वयकों का शैक्षणिक प्रमाण पत्र अनुभव एवं अन्य कागजातो का सत्यापन कराया जाना है।

उक्त 87 (सतासी) कृषि समन्वयकों का काउंसिलिंग हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग से फोल्डर प्राप्त करने हेतु निम्नाकिंत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी चययन आयोग में प्रतिनियुक्त किया जाता है तथा निदेश दिया जाता है कि आयोग से काउंसिलिंग हेतु फोल्डर मिलान कर प्राप्त करेंगे।

1. श्री नरेन्द्र लोहानी, सहायक निदेशकं (कृषि अभि0), कर्मशाला, आरा।
2. श्री सुभाष चन्द्र सुरेश, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–7 कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।
3. श्री कविन्द्र कुमार, सहायक, प्रशाखा–8 कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।
4. श्री अखिल कुमार, सहायक, प्रशाखा–7 कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

प्रतिनियुक्त उपरोक्त पदाधिकारियों / कर्मचारियों के द्वारा आयोग से फोल्डर / कागजात कॉउंसिलिंग हेतु प्राप्त कर बामेती, पटना के भवन में निर्धारित वज्रगृह में जमा किया जायेगा एवं पुनः कॉउंसिलिंग के पश्चात उक्त फोल्डर को बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना में उनके द्वारा जमा किया जायेगा एवं प्राप्ति रसीद लिया जायेगा।

बामेती, पटना स्थित स्ट्रांग रूम में फोल्डर प्राप्त कर वज्रगृह में सुरक्षित रखने हेतु वज्रगृह के प्रभारी पदाधिकारी के रूप में (1) श्री गणेश राम, निदेशक, बामेती एवं (2) श्री विश्वनाथ चौधरी, संयुक्त निदेशक (प्रशासन), कृषि निदेशालय, बिहार, पटना को प्रतिनियुक्त किया जाता है।

दोनों पदाधिकारी के द्वारा फोल्डर वज्रगृह में सुरक्षित रखकर संयुक्त रूप से सील्ड किया जायेगा।

कॉउंसिलिंग कि निर्धारित प्रक्रिया के समाप्ति के उपरान्त सभी फोल्डर को उपरोक्त प्रतिनियुक्त कर्मियों द्वारा निदेशक, बामेती एवं संयुक्त निदेशक (प्रशासन) को हस्तगत करा दिया जायेगा, जिसे प्रतिनियुक्त / प्राधिकृत पदाधिकारियों / कर्मियों के द्वारा केवल काउन्सिलिंग का फोल्डर आयोग में जमा कर प्राप्ति रसीद ले लिया जायेगा।

इन सभी कार्यो के लिए वाहन की व्यवस्था निदेशक, बामेती, बिहार, पटना के द्वारा किया जायेगा।

निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना द्वारा आयोग में उपस्थित रहकर उक्त कार्यों का पर्यवेक्षण किया जायेगा।

10.2.17

(हिमांशु कुमार राय)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 127 कृ0, पटना 13-2. 2017

प्रतिलिपि :– संबंधित प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों/सहायकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.2.17

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 127 कृ0, पटना 13-2 2017

प्रतिलिपि :– निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (प्रशासन), कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, बामेती, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.2.17

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 127 कृ0, पटना 13-2. 2017

प्रतिलिपि :–कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित तथा उप निदेशक (शष्य), सूचना एवं आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10.2.17

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।